रजिस्टर्ड नं० एच०-33-एस० एम० 13-14/97.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 28 जुलाई, 1997/6 श्रावण, 1919

हिमाचल प्रदेश सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 21 जुलाई, 1997

संख्या गृह (ए) एफ (15)-2/94.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, मैनोवर फील्ड फायरिंग एवं आर्टिलरी अभ्यास अधिनियम, 1938 (1938 का पांचवा अधिनियम) की धारा 9 की उप-धारा (3) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (4) में अपेक्षित है, इस अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (2) के अधीन उन क्षेत्रों में जो कि हिमाचल सरकार की अधिसूचना संख्या गृह (ए) एफ (3)-2/90-11, दिनांक 9-2-93 जो कि हिमाचल प्रदेश असाधारण राजपत्र, दिनांक 10-2-93 के अंक में प्रकाशित हुई

21 14-राजपत्र/97-28-7-97—1,254. मूल्य : 1 रुपया।

थी, में विनिर्दिष्ट किये हैं, में निम्नलिखित तिथियों के दौरान पूर्व परिभाषित क्षेत्र में फील्ड फायरिंग तथा आर्टिलरी अभ्यास करने हेतु प्राधिकृत करने के निश्चय को सरकारी राजपत्र में इस आशय की अधिसूचना को उन लोगों की सूचना हेतु जो कि इसके द्वारा प्रभावित होने सम्भावित है, सहर्ष प्रकाशित करने के आदेश देते हैं :—

सारिणी

जुलाई, 1997	जनबरी, 1998
02 से 10	05 से 10
21 से 31	
अगस्त, 1997	फरवरी, 1998
05 से 12	16 से 20
20 से 30	20 से 23
सितम्बर, 1997	मार्च, 1998
03 से 07	12 से 14
20 से 28	20 से 24
अक्तूबर, 1997	अप्रैल, 1998
05 से 12	04 से 07
13 से 20	21 से 28
नवम्बर, 1997	मई. 1998
01 से 05	04 से 12
21 से 29	
दिसम्बर, 1997	
05 से 10	
17 से 24	

टिप्पणी : यदि उपरोक्त अंकित तिथियों में अवकाश हो तो अगले कार्य दिवस पर फील्ड फायरिंग तथा तोपखाना अभ्यास किया जाये ।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
आयुक्त एवं सचिव ।

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 22 जुलाई, 1997

संख्या गृह बी0 (बी0) 14-2/94. —हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 432 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन कैदियों, जो किसी भी जेल में परिरुद्ध हैं, और जो हिमाचल प्रदेश राज्य में सिविल और दाण्डित अधिकारिता रखने वाले न्यायालयों द्वारा और विशेष न्यायालयों द्वारा सिद्ध-दोष ठहराए गये हैं को तीन मास (3 मास) का विशेष परिहार प्रदान करते हैं, परन्तु इस आदेश के अधीन उपरोक्त परिहार निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे :—

(1) किसी वर्ग के नजरबन्द।

(2) विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के अधीन दण्डादिष्ट दोषसिद्ध।

(3) पाकिस्तान के नागरिक।

(4) शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 की धारा 3, 4, 5, 6 और 10, दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, 1961 की धारा 2 और 3 और भारतीय दण्ड संहिता की धारा, 121 से 130 के अधीन दोष सिद्ध व्यक्ति।

(5) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107/109 के अधीन परिशान्ति कायम रखने के लिए या सदाचार के लिये प्रतिभूति न देने में असफल रहने वाले कारावासित व्यक्ति।

(6) जुर्माने के संदाय के व्यतिक्रम में कारावास भुगतने वाले व्यक्ति।

आदेश द्वारा,

एस0 एन0 वर्मा,
आयुक्त एवं सचिव।

[*Authoritative english text of this department notification No. Home-B (B)-14-2/94) dated 22-7-97 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India*].

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 22nd July, 1997

No. Home B (B) 14-2/94.—In exercise of the powers conferred by article 161 of the Constitution of India read with section 432 of the Code of Criminal Procedure 1973, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to grant special remission of 3 months to the prisoners who happened to be confined in any jail and who have been convicted by the courts of civil and criminal jurisdiction, in the State of Himachal Pradesh and special courts:

Pravided that the above remission under this order shall not be applicable to the following :—

(*i*) Detenue of any class;

(*ii*) Convicts sentenced under the Foreigners Act, 1946 and the Passport Act, 1967;

(*iii*) Pakistani national;

(*iv*) Persons convicted under section 3, 4, 5, 6 and 10 of the official secrets Act, 1923, sectio is 2 and 3 of the Criminal Law Amendment Act, 1961 and sections 121 to 130 of the Indian Penal Code;

(*v*) Persons imprisoned for failing to give security for keeping the peace or for their good behaviour under section 107/109 of the Criminal Procedure Code;

(*vi*) Prisoners under going imprisonment in default of payment of fine.

By order,
S. N. VERMA,
Commissioner-cum-*Secretary*.

राजस्व विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 24 जुलाई, 1997

सं0 रैव-डी (ए) 2-9/94-एस0 एम0 आर0.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1953 (1954 की अधिनियम सं0 6) की धारा 28 की उपधारा 1 के खण्ड (बी) में प्रदत्त शक्तियों तथा इस सम्बन्ध में सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री दमन चन्द "बी" श्रेणी नायब तहसीलदार उम्मीदवार (प्रशिक्षणाधीन) नाहन को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी की शक्तियां सहर्ष प्रदान करते हैं, जो कि उनके द्वारा उनके क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के अन्दर प्रशिक्षण अवधि में, कार्यग्रहण तिथि से प्रयोग की जाएंगी ।

शिमला-171002, 24 जुलाई, 1997

सं0 रैव-डी (ए) 2-2/94-के0 जी आर0.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1953 (1954 की अधिनयम सं0 6) की धारा 28 की उपधारा 1 के खण्ड (बी) में प्रदत्त शक्तियों तथा इस सम्बन्ध में सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री रामेश्वर दास "ए" श्रेणी (प्रशिक्षणाधीन) नायब तहसीलदार उम्मीदवार, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी की शक्तियां सहर्ष प्रदान करते हैं, जो कि उनके द्वारा उनके क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के अन्दर प्रशिक्षण अवधि में, कार्यग्रहण की तिथि से प्रयोग की जाएंगी ।

आदेश द्वारा,
हर्ष गुप्ता,
वित्तायुक्त एवं सचिव ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।